राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय

ज़वाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेलः–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2018–19/243 दिनांकः –6/04/2018

महोदय/महोदया

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जयुपर के वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2018–2019 के अनुसार, राजस्थान से बाहर ग्रीष्मकालीन शैक्षणिक शिविर का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है –

1. **गतिविधि का नाम** – **स्काउटर/गाइडर शैक्षणिक शिविर।**
2. **स्थान** – काठगोदाम। विस्तृत जानकारी अन्तिम सूचना पत्र में प्रेषित की जावेगी।
3. **तिथिया** – **दिनांक 29.05.2018 से 02.06.2018 तक।**
4. **शुल्क** –
   1.पंजीकरण शुल्क – 600 रूपये प्रति सम्भागी
   2.शिविर शुल्क – 1000 रूपये प्रति सम्भागी
   3.भ्रमण शुल्क – 1000 रूपय प्रति सम्भागी
   योग – 2600 रूपये प्रति सम्भागी होगा।
5. **योग्यता** – 1. कम से कम बेसिक कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त हो।
   2. ग्रुप में 4 चतुर्थ चरण कब/4 हीरक पंख बुलबुल, 8 तृतीय सोपान स्काउट/गाइड, 2 निपुण रोवर/रेंजर एवं 4 राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर बने हो।
   3. ग्रुप की 100% कोटामनी एवं उद्योग पर्व की राशि जमा हो।
   4. ग्रुप वार्षिक शिविर का आयोजन किया हो।
   5. जो पूर्ण स्वस्थ हो तथा शिविर के श्रम को वहन करने की क्षमता रखता हो।

9. **आंविटत संख्या** – प्रति जिला 3 स्काउटर्स एवं 2 गाइडर्स की संख्या निर्धारित की जाती है। इससे अधिक संख्या में सम्भागी स्वीकार नही किये जा सकेगे।

10. **आवश्यक सामग्री** – सभी सम्भागियों के लिए पूर्ण एवं सही स्काउटर/गाइडर पोशाक, बदलने के कपड़े, मौसम के अनुसार बिस्तर, खाने–पीने के बर्तन, पानी की बोतल, टार्च, सुई धागा, ग्राउण्ड शीट, हेवर सेक, छाता, साधारण मेडिकल किट एवं अन्य आवश्यकता की सामग्री साथा लाना आवश्यक है। शिविर में भ्रमण के दोरान भोजन के लिए सभी सम्भागियों को अपने साथ लंच बॉक्स(टिफिन) साथ लाना अनिवार्य है। **गाइडर्स की पोशाक में सफेद सलवार सूट स्वीकार्य नहीं होगा।**

Dailywork17-18.121

11. **आवेदन पत्र** – सभी सम्भागियों को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण शुल्क सहित अपना आवेदन पत्र दिनांक 25 अप्रेल, 2018 तक मण्डल मुख्यालय के माध्यम से राज्य मुख्यालय पर प्राप्त होना आवश्यक है। देरी से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।

12. **चयन प्रक्रिया** – जिला एवं मण्डल मुख्यालय की अनुशंषा पर प्राप्त आवेदन पत्रो पर राज्य मुख्यालय द्वारा तैयार मेरिट के आधार पर चयन किया जाकर इसकी **अन्तिम सूचना** सम्बन्धित मण्डल एवं जिला मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

13. **विशेष** – चयनित सम्भागियों के अतिरिक्त किसी भी स्काउटर्स/गाइडर्स एवं अन्य पारिवारिक सदस्य को स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यह राज्य से बाहर का कार्यक्रम है,इस हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है। यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट)

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2018–19/244–250 **दिनांकः –6/04/2018**

प्रतिलिपि –आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
2. आयुक्त महोदय, कॉलेज शिक्षा, निदेशालय शिक्षा संकुल, जयपुर।
3. निदेशक, (प्रा0./मा0.शिक्षा), शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0./मा0.शिक्षा) समस्त।
5. सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्का./गा.), समस्त।
6. सर्कल ओर्गेनाइजर(स्का./गा.), समस्त।
7. लेखाकार, राज्य मुख्यालय, जयपुर।
8. संस्था प्रधान/सम्बधित...

राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट)